कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

(भूतल "ग" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, दूरभाष -0755-2551594, ई-मेल cephbpl@nic.in)

क्रमांक 2794 /विधि/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 27/10/2023

// आदेश //

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कमांक 12225 / 2023 (श्री भूपेन्द्र सिंह राय एवं 28 अन्य बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड राजगढ़ के अधीनस्थ कार्यरत 29 नियमित / कार्यभारित / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों कमशः (1) श्री भूपेन्द्र सिंह राय (नियमित हैण्डपंप मैकेनिक) (2) श्री सतीश कुमार शर्मा (कार्यभारित वेल्डर) (3) श्री राजेन्द्र कुमार जोगी (कार्यभारित वेल्डर) (4) श्री राजेन्द्र मेवाड़े (कार्यभारित पंप चालक) (5) श्री लक्ष्मी नारायण साहू (कार्यभारित पंप चालक) (6) श्री प्रेमसिंह खीची कार्यभारित चौकीदार) (7) श्री रामबाबू व्यास (कार्यभारित फिटर ग्रेड-3) (8) श्री रामबाबू साहू (नियमित भृत्य, शासकीय महाविद्यालय, खिलचीपुर, राजगढ़) (9) श्री मोहम्मद अकील (नियमित भृत्य, महिला एवं बाल विकास विभाग राजगढ़) (10) श्री राशिद अहमद (नियमित भृत्य, महिला एवं बाल विकास विभाग राजगढ़) (11) श्री अमर लाल (कार्यभारित हेल्पर) (12) श्री अब्दुल शरीफ खान (कार्यभारित पंप चालक) (13) श्री नयन सिंह परमार (कार्यभारित हेल्पर) (14) श्री दौलत सिंह यादव (कार्यभारित मैकेनिक ग्रेड-3) (15) श्री गोपाल प्रसाद विश्वकर्मा (कार्यभारित मैकेनिक ग्रेड-3) (16) श्री दिनेश शर्मा (दैनिक वेतन भोगी श्रमिक) (17) श्री रामेश्वर शर्मा (कार्यभारित प्लम्बर) (18) श्री मांगी लाल वर्मा (कार्यभारित चौकीदार) (19) श्री देव नारायण विश्वकर्मा (नियमित सहायक ग्रेड-3) (20) श्री काशीराम (दैनिक वेतन भोगी हेल्पर) (21) श्री चतरु लाल धनगढ़ (दैनिक वेतन भोगी श्रमिक) (22) श्री मांगी लाल विश्वकर्मा (कार्यभारित हेल्पर) (23) श्री हरेन्द्र सिंह (कार्यभारित वाल्वमेन) (24) श्री श्याम सुन्दर शाक्य (कार्यभारित समयपाल) (25) श्री रामचन्द्र साहू (कार्यभारित माली) (26) श्री संजय तिवारी (कार्यभारित फिटर ग्रेड-3) (27) श्री हेमराज वर्मा (कार्यभारित प्लम्बर) (28) श्री रूप सिंह ओझा (दैनिक वेतन भोगी ड्राइवर) (29) श्री विजय सिंह पवार (कार्यभारित चौकीदार) के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह राय एवं 28 अन्य नियमित / कार्यभारित / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन का 12225 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी:-

(अ) प्रतिवादियों की, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 पर निष्क्रियता एवं चूक को अवैधानिक घोषित किया जाये ।

(ब) प्रतिवादियों को निर्देश दिये जाये कि वे वादी कर्मचारियों को, जिस पद पर वे कार्यरत है तथा जिस पद पर उन्हें स्थायी वर्गीकृत किया गया है, उस पद का नियमित / न्यूनतम वेतनमान का लाभ प्रमुख अभियंता, भोपाल के आदेश दिनांक 03.02.2003 के प्रकाश में दिनांक 03.02.2003 से प्रदान करे, तथा

दिनांक 03.02.2003 से ही वेतन निर्धारण करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश रावत (सुप्रा) प्रकरण मे निर्धारित विधि के अनुसार

दिनांक 03.02.2003 से स्थायी वर्गीकृत किये जाने के दिनांक यानी दिनांक 03.07.2010 तक की अवधि की वेतन अंतर की एरियर राशि 18% प्रतिवर्ष के ब्याज सहित भुगतान करें। प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिये जायें कि वे वादी कर्मचारियों की सेवायें भर्ती नियम 2012 के प्रकाश में नियमित करें तथा उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनाते हुये, उनकी सेवायें पेंशन योग्य बनायें।

(स) <u>चाही गई अंतरिम राहत</u>

प्रतिवादियों को निर्देश दिये जायें कि वह वादी कर्मचारियों को जिस पद पर वे कार्यरत हैं, उस पद के नियमित / न्ययूनतम वेतनमान का लाभ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 एवं माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन कमांक 12225/2023 में पारित निर्णय के अनुपालन में दिनांक 03.02.2003 से प्रदान करने के संबंध में उनके अभ्यावेदनों पर विचार कर निर्णय लें।

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 01 जून 2023 के माध्यम से किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

> The petitioners were classified by different orders passed in the year 2013. Accordingly, if the classification is intact and if they file separate representations before the authorities for grant of minimum pay scale from 03.02.2003 till the benefit of Sthaikarmi is given to them, then the representations shall be decided as early as possible and in any case within a period of three months from the date of representation in the light of judgment passed in the case of Ram Naresh Rawat (supra).
>
> With aforesaid direction, the petition stands disposed of.

(3) रिट याचिका क. 12225 / 2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2023 के अनुक्रम में सभी 29 वादी कर्मचारियों की ओर से एक समान अभ्यावेदन दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत किये गये थे, जो निम्नानुसार है :-

> प्रति,
> माननीय कार्यपालन यंत्री महोदय
> लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
> खण्ड राजगढ़ (ब्यावरा) (म.प्र)
> विषय :- प्रार्थी को 2003 से स्थाई वर्गीकृत करते हुए वेतन अंतर की राशि का भुगतान करने बावत ।
> संदर्भ : माननीय उच्च न्यायालय इंदौर का पारित आदेश दिनांक 01.06.2023

मान्यवर महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को माननीय प्रमुख अभियंता का आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के अनुसार स्थाई वर्गीकृत नहीं किया था खंड राजगढ़ के आदेश क्रमांक 92 दिनांक 03.07.2010 मे स्थाई वर्गीकृत किया गया एवं 2013 मे नियमित / कार्यभारित स्थापना मे विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रार्थी ने 2003 से स्थायी वर्गीकृत करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंड पीठ मे याचिका कमाक 12225 दिनांक 29.05.2023 को दायर की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने दिनांक 01.06.2023 को आदेश पारित किया है। जिसकी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

अतः माननीय से अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के पारित आदेशानुसार 2003 से स्थाई वर्गीकृत किए जाने एवं 2003 से 2010 तक की वेतन अंतर की राशि का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राम नरेश रावत विरूद्ध अश्विनी राय एवं अन्य के निर्देशानुसार भुगतान कराने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करे।

(4) रिट याचिका कमांक 12225/2023 मे पारित निर्णय दिनांक 01.06.2023 के अनुपालन मे कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड राजगढ़ के अधीनस्थ कार्यरत सभी 29 वादी कर्मचारियों के स्वत्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(i) सभी 29 नियमित / कार्यभारित / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदनों मे मांग की गयी है कि उन्हें प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश कमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के अनुपालन मे दिनांक 03.02.2003 से ही स्थायी वर्गीकृत किया जाये।

इस संबंध मे यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश कमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के आशय को समझने मे अधीनस्थ कार्यरत अधिकांश कार्यपालन यंत्री कार्यालयों द्वारा चूक किये जाने के कारण उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत घोषित किया गया था। इस संबंध मे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक 6206 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन मे मात्र ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो रिक्त पद के विरूद्ध

प्रमुख अभियंता कार्यालय के इन्ही निर्देशों के अनुपालन मे कार्यपालन यंत्री राजगढ़ के आदेश क्रमांक 43 दिनांक 21/07/2011 के माध्यम से आपके सम्बन्ध मे जारी किये गए स्थायी वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर दिया गया था । उपरोक्तानुसार वर्तमान मे वादी कर्मचारीगणो का स्थायी वर्गीकरण अस्तित्व मे नहीं है ।

म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ16-01/2016/1/चौंतीस भोपाल दिनांक 18.01.2017 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7 अगस्त 2018 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 8785 दिनांक 10.10.2018 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री स्तर से स्थायी वर्गीकरण के संबंध में की गयी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की जांच मुख्य अभियंता स्तर से की जाकर त्रुटिपूर्ण स्थायी वर्गीकरण आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये थे। उपरोक्तानुसार प्रमुख अभियंता का आदेश कमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 इन कर्मचारियों को दिनांक 03.02.2003 से स्थायी वर्गीकृत करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

रिट याचिका मे शामिल सभी 29 वादी कर्मचारियों के लिये खंड राजगढ़ के अधीनस्थ स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी के पद ना तो स्वीकृत थे और ना ही रिक्त थे ऐसी स्थिति मे वे रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं थे तथा वे निम्नलिखित न्याय दृष्टांतों के अनुसार स्थायी वर्गीकरण के योग्य भी नहीं थे :-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 6678/2004, मप्र शासन एवं अन्य विरूद्ध ओमकार प्रसाद पटेल निर्णय दिनांक 07.12.2005
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 5185/2006. म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा निर्णय दिनांक 24.11.2006
3. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 7006-7008 / 2009. रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, विरूद्ध मप्र शासन एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.09.2015
4. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 1265 / 2006 म.प्र हाउसिंग बोर्ड विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव निर्णय दिनांक 24.02.2006
5. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 337/2002, महेन्द्र एल जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.11.2004
6. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन कमांक 1992/2006. म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध साहब सिंह, निर्णय दिनांक 05.05.2011
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 4148/2000. ... 4151/2000 एवं 4152/2000 दिनांक 02.02.2017

उपरोक्तानुसार वादी कर्मचारियों द्वारा की गयी मांग कि उन्हें प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश कमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के अनुपालन में दिनांक 03.02.2003 से ही स्थायी वर्गीकृत किया जावे, तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण अमान्य की जाती है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद वादी कर्मचारियो में शामिल नियमित / कार्यभारित कर्मचारियो को दिनांक 03.07.2010 से उनके नियमितिकरण किये जाने के दिनांक तक / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में वर्तमान तक की वेतन एरियर राशि भुगतान की जा चुकी है ।

यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के नियमित / कार्यभारित / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकरण आदेशों में भिन्नता के कारण प्राप्त हुये है तो इस आधार पर इन कर्मचारियों को दिनांक 03.01.2003 से स्थायी वर्गीकृत किये जाने की पात्रता नहीं आती है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **"इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरुद्ध टी.के. सूर्यनारायर्णन एवं अन्य"** [(1997) **एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है, तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नहीं बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(ii) वादी कर्मचारियों द्वारा अपने अभ्यावेदनों में प्रस्तुत की गयी दिनांक 03.02.2003 से दिनांक 03.07.2010 तक की अवधि की वेतन एरियर राशि की मांग का निर्धारण निम्न न्याय दृष्टांतों के आधार पर किया जाता है:-

(अ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य"** में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 [1996 AIR 669, 1995 SSC (5) 628]

(ब) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क. 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं 11 अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022, रिट पिटीशन क. 13892/2022 (हृदयराम यादव एवं 10 अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802 / 2023 (श्रीनिवास मिश्रा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2023

[माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ (सुप्रा) प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के प्रकरणों में पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8014/2022, रिट पिटीशन कमांक 13892 / 2022 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2022 में पारित निर्णयों में लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।]

उक्तानुसार इन सभी 29 नियमित / कार्यभारित / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रिट याचिका दायर करने के दिनांक 29.05.2023 से तीन वर्ष पूर्व यानि दिनांक 29.05.2020 से 29.05.2023 तक की एरियर राशि की पात्रता

आती है। कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका के माध्यम से दिनांक 03.07.2010 के पूर्व की अवधि की एरियर राशि चाही गई है जिस हेतु उनका दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों में दी गई एवं माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के बाहर होने के कारण अमान्य किया जाता है।

27/10/23

मुख्य अभियंता

पृ.क्रमांक 2794 /विधि./मु.अ./ लो.स्वा.यां.वि./परिक्षेत्र दिनांक 27/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश संबंधित कर्मचारी को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
4. संबंधित श्री...

   की ओर उनके अभ्यावेदन दिनांक 21.06.2023 का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

27/10/23

मुख्य अभियंता